



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072021-228144
CG-DL-E-06072021-228144

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2502]
No. 2502]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 6, 2021/आषाढ़ 15, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 6, 2021/ASHADHA 15, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2021

का.आ. 2703(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.4393(अ) दिनांक-04.12.2020, जो भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -200 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-49) के कि.मी. 240.000 से कि.मी. 312.400 तक (बिलासपुर-उर्दावल खण्ड) तक के भूखण्ड पर निर्माण, (चौड़ा करने/चारलेन बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख-16.12.2020 को जनकर्म (हिन्दी में) तथा तारीख-16.12.2020 दैनिक पत्रिका (अंग्रेजी में) प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुये ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची 3D (जिला-रायगढ़ तहसील-रायगढ़)

छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -200 (नया रा० रा० संख्या-49) के कि.मी. 240.000 से कि.मी.312.400 (बिलासपुर-उर्दावल खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़		जिले का नाम: रायगढ़			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: रायगढ़				
	गांव का नाम: अमलीभौना				
1	From 100/1	निजी	कृषि	0.881	हेमलाल, श्यामलाल, पूर्णचंद, विद्याधर पिता- निलाम्बर, हरिशंकर, चम्पा पिता - रामप्रसाद, अक्रितलाल, कुमार, भीष्मदेव, बिहारीलाल, पद्मिनी प्रेमकुमारी पिता- मोतीराम अन्नपूर्णा पति- आत्मानारायण, प्रकाश पिता-आत्मानारायण, नारायण पिता- ललित, लालमोहन पिता- शिवप्रसाद, गोकुल, गोपाल, पिता-परमानन्द , भीष्मदेव, नरेंद्र, निर्मला, कमला पिता- खगेश्वर, सुभद्रा पति- बालमुकुन्द, पूर्णेश, शैलेश, सुनीता, सुनील पिता- बलमुकुन्द वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति-अधरिया पता-सा देह भूमिस्वामी (१००/१ से)
2	From 28	निजी	कृषि	0.04	जगेश्वर पिता- नंदराम वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- अधरिया पता- सा. देह भूमिस्वामी (28 से)
3	From 52/6	निजी	कृषि	0.166	लछनकुमार उर्फ लक्ष्मण कुमार पिता डमरूधर, वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- अधरिया पता- सा. देह भूमिस्वामी (५२/६ से)
	गांव का नाम: चारभाठा				
4	From 276/7	निजी	कृषि	0.076	निलाम्बर पिता- ईश्वर वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- अधरिया पता- सा. देह भूमिस्वामी (२७६/७ से)

5	From 296/1	निजी	कृषि	0.008	राजकुमार पिता- श्रीराम वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- अघरिया पता- सा. देह भूमिस्वामी (२९६/१ से)
6	From 297	निजी	कृषि	0.413	धनुर्जय अश्वनी पिता- बाबूलाल, दीनदयाल पिता- उसतराम, विमला पति- वेवा- डमरूधर, ना.बा. गुडिया पिता- डमरूधर, ना.बा. राजेश , फूलबाई पिता- खगेश्वर, फागुलाल, भुनेश्वर, दामोदर, बालमती पिता- जगमोहन, बंगालीप्रसाद, जानकीप्रसाद, टीकाराम, कुमारीबाई पिता- गनपत, सेवकलाल, रूपलाल, ताराचंद पिता- दशरथ, जयमंगल पिता- दशाराम, राजकुमारी पति- मुनुदाऊ, पार्वती पति- डमरूधर, काराकुंवर पति- सालिकराम, रघुवर, लक्ष्मीप्रसाद, नारायण, जवाहर, दिलेश्वर, अहिल्या पिता- दौलताराम, वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- अघरिया पता- सा. देह भूमिस्वामी (297 से)
7	From 95/1	निजी	कृषि	0.012	परमेश्वर पटेल पिता- जवाहर, वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- अघरिया पता- सा. देह भूमिस्वामी (९५/१ से)
	गांव का नाम: काशीचुआ				
8	From 584/2	निजी	कृषि	0.004	त्रिलोचन पिता- वंशी, वर्ग- अ.ज.जा. वर्ग जाति- खरिया पता- सा. देह भूमिस्वामी (५८४/२ से)
9	From 596/3	निजी	कृषि	0.025	तन्नू पिता- पदमन, वर्ग-अन्य पिछड़ावर्ग जाति-तेली पता-सा. देह भूमिस्वामी (५९६/३ से)
10	From 597/4	निजी	कृषि	0.239	गजराज, गोपाल, पिता- सीताराम, मूलचंद प्रभुलाल, हवीलाल छवीलाल पिता- हरिर, वर्ग- अन्य पिछड़ा वर्ग जाति- अघरिया पता- सा. देह भूमिस्वामी (५९७/४ से)
11	From 703/2	निजी	कृषि	0.061	गंगाधर पिता- हरिराम, टिकाराम पिता- साधराम, उजलमति पति-साधराम अंजोरमती पति- बैजू, भोजकुमार पिता-विजय, खेलकुमारी पिता-हरीराम, मोहितकुंवर

					पिता-अमरू, तिजमती पति-बेवा विजय, वर्ग- अ.ज.जा. जाति-कंवर, पता- सा. देह भूमिस्वामी (७०३/२ से)
12	From 833/2	निजी	कृषि	0.061	सेतकुमारी, पति- लक्ष्मीनारायण, दिनेश पटेल, कमलेश पटेल पिता-लक्ष्मीनारायण वर्ग-अन्य पिछड़ा वर्ग जाति-अधरिया पता- सा। देह भूमिस्वामी (833/ 2 से)
13	From 904/6	निजी	कृषि	0.068	कायतराम पिता-गुलाबराम, वर्ग-अ.ज.जा. जाति-घसिया पता- सा. देह भूमिस्वामी (९०४/६ से)
			कुल	2.054	

[फा. सं. RW/NH-37014/18/2010-NHDP-IVA/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th July, 2021

S.O. 2703(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. No.4393(E) dated-04.12.2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning,etc) Maintenance, management and operation of NH-200 (New NH-49) on the stretch of land from Km. 240.000 to Km. 312.400(Bilaspur-Urdawal Section) in the district of RAIGARH in the state of CHHATTISGARH;

And whereas the substance of the said notification has been published in *Jankram in Hindi dated 16.12.2020* and Dainik Parika In English dated- 16.12.2020 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

3D(Distt.-Raigarh, Tehsil-Raigarh)

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 240.000 to Km. 312.400 Package-III (Bilaspur-Urdawal Section) of the NH-200 (New NH-49) in the State of CHHATTISGARH

State: CHHATTISGARH			District: RAIGARH		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Raigarh				
	Village: Amlibhauna				
1	From 100/1	Private	Agriculture	0.881	Hemlal, Shyamlal, purnachand, vidhayadhar s/o Nilamber, Harishankar s/o Ramprasad, Champa D/o Ramprasad, Aktilal, Kumar, Bhisamadev, Biharilal, s/o Motiram Padmini, Premkumari D/o Motiram, Annapurna W/o Atmanarayan, Prakash s/o Atmanarayan, Narayan s/o Lalit, Lal Mohan s/o Shivprasad, Gokul, Gopal s/o Parmanand, Bhimshmadev, Narendra s/o Khageshwar, Nirmala, Kamla D/o Khageshwar, Subhadra W/o Balmukund, Purnesh, Sailesh s/o Balmukund, Sunita, Sunila, D/o Blamukund, category OBC cast-Aghariya Landlord From 100/1
2	From 28	Private	Agriculture	0.04	Jageshwar S/o Nandram Category OBC Caste- Aghariya Landlord From 28
3	From 52/6	Private	Agriculture	0.166	Lachhankumar urf Lakshman Kumar S/o Damrudhar Category OBC Caste- Aghariya Landlord From 52/6
	Village: Charbhata				
4	From 276/7	Private	Agriculture	0.076	Nilambar S/o Ishwar Category OBC Caste- Aghariya Landlord From 276/7
5	From 296/1	Private	Agriculture	0.008	Rajkumar S/o Shriram Category OBC Caste- Aghariya Landlord From 296/1
6	From 297	Private	Agriculture	0.413	Dhanurjay Ashwani S/o Babulal, Dindayal S/o Ustram, Vimala W/o Widow Damrudhar, Na.Ba. Gudiya D/o Damrudhar, Na.Ba. Rajesh S/o Damrudhar, Foolbai D/o Khageshwar, Fagulal, Bhuneshwar, Damodar S/o Jagmohan BALmati D/o Jagmohan, Bangaliprasad, Jankiprasad, Tikaram

					S/o Ganpat, Kumaribai D/o Ganpat, Sevaklal, Ruplal, Tarachand S/o Dashrath, Jaimangal S/o Dasharam, Rajkumari W/o Munudau, Parvati W/o Damrudhar, Karakunwar W/o Salikram, Raghuwar, Lakshmiprasad, Narayan, Jawahar, Dileshwar S/o Daulatram, Ahilya D/o Daulatram, Category OBC Caste- Aghariya Landlord From 297
7	From 95/1	Private	Agriculture	0.012	Parmeshwar Patel s/o Jawahar, Category OBC Caste- Aghariya Landlord From 95/1
	Village: Kashichuwa				
8	From 584/2	Private	Agriculture	0.004	Trilochan S/o Banshi, Category S.T. Caste- Khariya Landlord From 584/2
9	From 596/3	Private	Agriculture	0.025	Tannu S/o Padman category OBC cast-Teli, Landlord From 596/3
10	From 597/4	Private	Agriculture	0.239	Gajraj, Gopal, S/o Sitaram, Moolchand Prabhulal, Habibal Chhabilal S/o Harir, Category OBC Caste- Aghariya Landlord From 597/4
11	From 703/2	Private	Agriculture	0.061	Gangadhar S/o Hariram, Tikaram S/o Sadhram, Ujalmati W/o Sadhram Anjormati W/o Baiju, Bhojkumar S/o Vijay, Khelkumari D/o Hariram, Mohitkunwar D/o Amru, Tijmati W/o Widow Vijay, Category S.T. Cast-Kanwar Landlord From 703/2
12	From 833/2	Private	Agriculture	0.061	Setkumari W/o Lakshminarayan, Dinesh Patel S/o Lakshminarayan category OBC cast-Aghariya Landlord From 833/2
13	From 904/6	Private	Agriculture	0.068	Kayatram S/o Gulabram, category S.C. cast – Ghasiya Landlord From 904/6
			TOTAL	2.054	

[F. No. RW/NH-37014/18/2010-NHDP-IVA/3D]

RAJESH GUPTA, Director